रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, गुरुवार, अप्रैल 27, 1972/वैशाख 7, 1894
No. 128] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 27, 1972/VAISAKHA 7, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April 1972

G.S.R. 262(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 43 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby directs that sections 40A and 44 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), as made applicable to the Life Insurance Corporation of India by the notification of the Government of India in the Ministry of Finance No. G.S.R. 734, dated the 23rd August 1958, shall be subject to the following further modifications, namely:—

1. In section 40A—

(a) in sub-section (1), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that in a case referred to in clause (c), the Life Insurance Corporation of India may pay to an insurance agent, and the insurance agent may receive from it commission on the second, third, fourth or fifth year's renewal premium payable on the policy at a rate not exceeding ten per cent of each renewal premium, but the total amount of commission payable on the first years premium and the second, third, fourth and fifth year's renewal premiums shall not exceed sixty per cent of the annual premium payable on the policy.";

(b) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(4A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Life Insurance Corporation of India may pay to an insurance agent appointed by it, and an insurance agent may receive from it, gratuity, telephone charges, office allowance and similar allowances, in addition

to the commission permissible under sub-section (1) and the Life Insurance Corporation of India may also provide term insurance benefit for him.";

(c) In sub-section (5), after the words, brackets and figure "sub-section (1)" the words, brackets, figure and letter "read with sub-section (4A)" shall be inserted.

2. In section 44—

(a) for clause (b) of the proviso to sub-section (1), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(b) such agent being an agent appointed before the 1st May, 1972 has served the insurer continually in respect of life insurance business for at least five years and policies assuring a total sum of not less than fifty thousand rupees effected through him were in force on a date one year before his ceasing to act as such agent for the insurer; or

(bb) such agent being an agent appointed on or after the 1st May, 1972 has served the insurer continually in respect of life insurance business for at least five years and policies assuring a total sum of not less than two lakhs of rupees effected through him for the insurer were in force on a date one year before his ceasing to act as such agent for the insurer; or

(bbb) such agent, having worked as an insurance agent for the insurer continually for at least two years from the date of his appointment, ceases to act for the insurer by reason of the termination of his appointment by the insurer solely on the ground of his having been physically or mentally incapacitated and policies assuring a total sum of not less than one lakh of rupees effected through him were in force on the date immediately prior to such termination; or";

(b) in sub-section (2)—

(i) for the words, brackets and letters "clauses (b) and (c)" the words, brackets and letters "clauses (b), (bb), (bbb) and (c)" shall be substituted;

(ii) the existing proviso shall be omitted;

(c) after sub-section (2), the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(3) In the event of the death of an insurance agent who at the time of his death was working as an insurance agent and was holding a valid licence issued to him under section 42, any commission payable to him had he been alive shall be paid to his heirs, so long as such commission would have been payable had the agent been alive:

Provided that such insurance agent had continually worked as an insurance agent for not less than two years and policies assuring a total sum of not less than one lakh of rupees effected through him were in force on the date immediately prior to his death.

(4) An insurance agent may nominate in writing any person including a social or charitable institution to receive after his death the commission payable under sub-section (2) or sub-section (3) and to receive, in the event of his death, any moneys found to be due on, or payable at, his death, in respect of his agency, and where such nomination has been made the moneys shall be paid by the insurer to the nominee:

Provided that the nomination is registered in the records of the insurer and it has not been varied or cancelled by notice in writing delivered to the insurer."

[No. F.82(8)-Ins.II/71.]

A. RAJAGOPALAN,
Officer on Special Duty and *Ex-officio*,
Addl. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1972

सा०का०नि० 262(अ).—जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 43 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 40क और 44, जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तारीख 23 अगस्त, 1958 की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 734 द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को लागू की गई थीं, निम्नलिखित और उपान्तरणों के अधीन होंगी, अर्थात :—

1 धारा 40क में,—

(क) उप-धारा (1) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :—

"परन्तु खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी दशा में पालिसी पर देय दूसरे, तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ष के नवीकरण प्रीमियम पर कमीशन उस दर पर भारतीय जीवन बीमा निगम किसी बीमा अभिकर्त्ता को दे सकेगा, और बीमा अभिकर्त्ता उससे प्राप्त कर सकेगा जो प्रत्येक नवीकरण प्रीमियम के दस प्रतिशत से अधिक न होगी, किन्तु पहले वर्ष के प्रीमियम और दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष के प्रीमियमों पर देय कमीशन की कुल रकम पालिसी पर देय वार्षिक प्रीमियम के आठ प्रतिशत से अधिक न होगी ।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्.—

"(4क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञेय कमीशन के अतिरिक्त, उपदान, टेलीफोन व्यय, कार्यालय भत्ता और वैसे ही भत्ते भारतीय जीवन बीमा निगम अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी बीमा अभिकर्त्ता को दे सकेगा, और बीमा अभिकर्त्ता उससे प्राप्त कर सकेगा और भारतीय बीमा निगम सांविधि बीमा-फायदे का भी उपबंध उस के लिए कर सकेगा ।" :

(ग) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, 'उपधारा (4क) के साथ पठित उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

2 धारा 44 में,—

(क) उपधारा (1) के परन्तुक के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

"(ख) ऐसा अभिकर्त्ता जो 1 मई, 1972 से पूर्व नियुक्त किया गया कोई अभिकर्त्ता है, जीवन बीमा कारबार की बाबत कम से कम पांच वर्ष तक बराबर बीमाकर्त्ता की सेवा करता रहा है तथा उसके माध्यम से की गई इतनी पालिसियां, जितनी पर पचास हजार रुपए से अन्यून कुल धनराशि बीमाकृत है उस बीमाकर्त्ता के लिए ऐसे अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करना उस द्वारावन्द किए जाने से पूर्व के एक वर्ष की तारीख को प्रवृत्त थी ; या

(खख) ऐसा अभिकर्त्ता जो 1 मई, 1972 से पूर्व नियुक्त किया गया कोई अभिकर्त्ता है, जीवन बीमा कारबार की बाबत कम से कम पांच वर्ष तक बराबर बीमाकर्त्ता की सेवा

करता रहा है तथा उसके माध्यम से बीमाकर्त्ता के लिए की गई इतनी पालिसियां, जितनी पर दो लाख रुपए से अन्यून कुल धनराशि बीमाकृत है उस बीमाकर्त्ता के लिए ऐसे अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करना उस द्वारा बन्द किए जाने के पूर्व के एक वर्ष की तारीख को प्रवृत्त थीं ; या

(खखख) ऐसा अभिकर्त्ता, जो अपनी नियुक्ति की तारीख से कम से कम दो वर्ष तक बराबर बीमाकर्त्ता के लिए बीमा अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करता रहा है, उस बीमाकर्त्ता द्वारा उसकी नियुक्ति, एकमात्र इस आधार पर कि वह शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है, समाप्त कर दिए जाने के कारण उस बीमाकर्त्ता के लिए कार्य करना बन्द कर देता है तथा उसके माध्यम से की गई इतनी पालिसियां, जितनी पर एक लाख रुपए से अन्यून कुल धनराशि बीमाकृत है, ऐसी समाप्ति के ठीक पूर्व की तारीख को प्रवृत्त थीं ; या"

(ख) उपधारा (2) में—

(i) "खंड (ख) और (ग)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (ख), (खख), (खखख) और (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) विद्यमान परन्तुक लुप्त कर दिया जाएगा ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"(3) किसी ऐसे बीमा अभिकर्त्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में जो अपनी मृत्यु के समय बीमा अभिकर्त्ता के रूप में कार्य कर रहा था और जिसके पास धारा 42 के अधीन उसके नाम में जारी की गई विधिमान्य अनुज्ञप्ति थी, उसको उस दशा में जब कि वह जीवित रहा आता, देय कोई कमीशन उस समय तक उसके वारिसों को दिया जाएगा जिस तक ऐसा कमीशन उस दशा में देय रहता जिस में कि ऐसा अभिकर्त्ता जीवित रहा आता :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा बीमा अभिकर्त्ता कम से कम दो वर्ष तक बीमा अभिकर्त्ता के रूप में बराबर कार्य करता रहा है तथा उसके माध्यम से की गई इतनी पालिसियां, जितनी पर एक लाख रुपए से अन्यून कुल धनराशि बीमाकृत है, उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व की तारीख को प्रवृत्त थीं ।

(4) बीमा अभिकर्त्ता उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन देय कमीशन उसकी मृत्यु के पश्चात प्राप्त करने के लिए और उसकी मृत्यु हो जाने की दशा में, उसकी एजेंसी की बाबत, यदि यह पता लगे कि उसकी मृत्यु पर कोई धन शोध्य या देय है तो उसे प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत कोई सामाजिक या पूर्त संस्था भी है लिखित में नाम निर्देशित कर सकेगा, और जहां ऐसा नामनिर्देशन किया गया है वहां बीमाकर्त्ता द्वारा धन नामनिर्देशिती को दिया जाएगा :

परन्तु यह तब जब कि ऐसा नाम निर्देशन बीमाकर्त्ता के अभिलेखों में दर्ज हो और बीमाकर्त्ता को दी गई लिखित सूचना द्वारा उसमें फेरफार न की गई हो या उसे रद्द न किया गया हो ।"

[सं० फा० 82(8)—बीमा—2/71]

ए० राजगोपालन,
विशेष कार्य अधिकारी और पदेन
अपर सचिव, भारत सरकार

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972